

फैक्ट सीट

1—परियोजना का नाम	— नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउण्ड का निर्माण।		
2—प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(है० में)–			
आरक्षित वन भूमि	—	0.80	है०
सिविल एंव सोयम वन भूमि	—	—	—
वन पचायंत भूमि	—	—	—
निजी भूमि	—	—	—
योग	—	0.80	है०
3— प्रस्तावक विभाग का नाम	—	नगर पंचायत बनबसा।	
4— वन प्रभाग का नाम	—	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।	
5— प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है—		हॉ	/ नहीं
6— प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है—		हॉ	/ नहीं
7— क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग—1, 2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है—		हॉ	/ नहीं
8— क्या प्रारूप में वाछिंत स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है—		हॉ	/ नहीं
9— प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है—		हॉ	/ नहीं
10—प्रभावित होने वाले वृक्षों के सख्यां की सूची/प्रमाण पत्र सलंगन है—		हॉ	/ नहीं
11—बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण—पत्र सलंगन है—	(उक्त निर्माण में कोई भी बांज प्रजाति का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)		
12—प्रभावित होने वाले वृक्षों की सख्यां यदि अत्यधिक हैं तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम हॉ/ नहीं करने का क्या प्रयास किया गया है—	(उक्त निर्माण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)	हॉ	/ नहीं
13—समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की सख्यां व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची सलंगन है—	प्रस्तावित स्थल वृक्षों की सूची सलंगन है—	हॉ	/ नहीं
14—क्या वृक्षों की सख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है—		हॉ	/ नहीं
15—क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में सलंगन है—		लागू	नहीं
16—क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है—		लागू	नहीं
17—प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना सलंगन है—		लागू	नहीं
18—क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है—		हॉ	/ नहीं
19—प्रस्तावित क्षेत्र हाथी केरेडोर का हिस्सा है—		हॉ	/ नहीं
20—क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है—		हॉ	/ नहीं

- 21—प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निमार्ण किया जाना है— लागू नहीं
- 22—क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—अलग रगों से भरा गया है— हॉ / नहीं
- 23—यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। लागू नहीं
- 24—क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (सरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है— हॉ / नहीं
- 25—यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सलंगन किया जाय। लागू नहीं
- 26—सड़क निमार्ण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये हैं— लागू नहीं
- 27—वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट सलंगन किया जाये) सलंगन है।
- 28—लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है— लागू नहीं
- (5 हॉ से अधिक के प्रकरण में लागू होगा)
- 29—मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है— हॉ / नहीं
- 30—मलवे की योजना मय मानचित्र के सलंगन है— हॉ / नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलंगन है— सलंगन है।
- 31—राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में सलंगन है— हॉ / नहीं
- 32—क्या प्रस्ताव में सलंगन प्रमाण—पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में सलंगन हैं— हॉ / नहीं
- (यदि छायाप्रतियाँ सलंगन की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं)
- 33—यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण—पत्र सलंगन है— सलंगन है।
- 34—वित्तीय प्रशासनिक / स्वीकृति सलंगन है— हॉ / नहीं
- 35—क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण—पत्रों में परियोजना का नाम अकिंत है— हॉ / नहीं
- 36—क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण—पत्र सलंगन है— हॉ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समर्त प्रमाण—पत्र / सूचनायें सलंगन कर दी गयी हैं।



(क्रांतिकारी एजेन्सी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
बनवासा (पम्पावती)